बरेली पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक 26.07.2025

थाना फतेहगंज पश्चिमी

थाना फतेहगंज पश्चिमी #bareillypolice द्वारा लूट/छिनैती करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को दौराने पुलिस मुठभेड़ घायल अवस्था में किया गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल, 4300/- नगद रुपये ,तमंचा कारतूस व चाकू बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-

जनपद बरेली में लूट/चोरी/नकबजनी/छिनैती की घटनाओं पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रभारी फतेहगंज पश्चिमी मय थाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 25/26.07.2025 की रात्रि को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दौराने पुलिस मुठभेड़ दो अभियुक्तों 1.अवधेश सिंह पुत्र विक्रम सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सतुईया पट्टी थाना फतेहगंज पश्चिमी 2.विष्णु कश्यप पुत्र सुरेश कश्यप उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम सतुईया पट्टी थाना फतेहगंज पश्चिमी को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त अवधेश सिंह उपरोक्त को दाहिने पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों द्वारा थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में हाईवे पर की गई कुंडल छीनने व मोटरसाइकिल व फोन लूट/छिनैती की घटनाओं का करना स्वीकार किया है।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाहीः-

दिनांक 25/26.07.2025 की रात्रि को थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस टीम थाना प्रभारी फतेहगंज पश्चिमी श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, उ0नि0 श्री अनूप सिंह, उ0नि0 श्री पुनीत मेहरा, उ0नि0 श्री पवन कुमार, हे0का0 637 प्रदीप कुमार, हे0का0 432 कुलदीप सिंह, का0 3735 जितेन्द्र कुमार, का० देवेन्द्र कुमार, का0 लेखपाल सागर को चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान सूचना मिली कि धनेटा से झुमका तिराहे की तरफ हाईवे पर दो बदमाश एक मो०सा० स्पलेंडर प्लस से जा रहे है जिनके पास अवैध हथियार भी है। प्राप्त सूचना पर थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को रोकने का प्रयास किया गया परन्तु अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जबाबी कार्यवाही में एएनए कट से पहले अगरास जाने वाले रास्ते पर दौराने पुलिस मुठभेड़ दो अभियुक्तों 1.अवधेश सिंह पुत्र विक्रम सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सतुईया पट्टी थाना फतेहगंज पश्चिमी 2.विष्णु कश्यप पुत्र सुरेश कश्यप उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम सतुईया पट्टी थाना फतेहगंज पश्चिमी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अवधेश सिंह दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। मुठभेड़ में घायल अभियुक्त अवधेश को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से एक तंमचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, एक चाकू नाजायज व लूटी हुयी मोटरसाईकिल स्पलेण्डर प्लस रंग काला, 4300रू0/- नगद बरामद हुये हैं। गिरफ्तारी ब बरामदगी के आधार पर थाना फतेहगंज पश्चिमी पर मु0अ0सं0 311/025 धारा 109,351(3),352,317(2),318(4) बीएनएस व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अवधेश सिंह पुत्र विक्रम सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सतुईया पट्टी थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली। (घायल)

2.विष्णु कश्यप पुत्र सुरेश कश्यप उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम सतुईया पट्टी थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली।

घटना के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोग का विवरणः–मु0अ0सं0 311/2025 धारा 109/351(3)/352/317(2)/318(4) बीएनएस व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट सम्बन्धित थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली ।

बरामदगीः- एक तंमचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, एक चाकू नाजायज, लूटी गयी मोटरसाईकिल स्पलेण्डर प्लस रंग काला , 4300/-रूपये नकद बरामद।

आपराधिक इतिहासः- अभियुक्त अवधेश सिंह-

1.मु0अ0स0 271/25 धारा 307 BNS थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली ।

2.मु0अ0सं0 302/25 धारा 309(4)/309(6) BNS थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली ।

3.मु0अ0स0 311/2025 धारा 109/351(3)/352/317(2)/318(4) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट सम्बन्धित थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली ।